

साहित्य और शिक्षा में भाषा का महत्व

मोनिका महानंद डांगरे

हिंदी विभाग, के.एल.ई. जी.आई. बागेवाडी आर्ट्स, साइंस एण्ड कॉमर्स
कॉलेज, निपाणी।

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17263804>

ABSTRACT:

यह आलेख साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भाषा के सर्वोपरि महत्व को स्थापित करता है। भाषा को साहित्य की आधारशिला माना गया है, क्योंकि यह लेखक को अपने विचारों, भावों और कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम प्रदान करती है। साहित्य के माध्यम से ही समाज का वास्तविक चित्रण, ऐतिहासिक ज्ञान का प्रसार और शब्दावली का विकास संभव होता है। शिक्षा के संदर्भ में, भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह संज्ञानात्मक विकास, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देती है। यह ज्ञान के संकलन, संचार और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार, भाषा साहित्य और शिक्षा दोनों में मानव सभ्यता और सामाजिक एकता के प्रवाह को बनाए रखने वाली केंद्रीय शक्ति है।

KEYWORDS:

भाषा, साहित्य, शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास, सांस्कृतिक समझ.

.....

प्रस्तावना:

साहित्य और शिक्षा में भाषा का महत्व अत्यधिक है। क्योंकि भाषा साहित्य की आधारशिला है और साहित्य भाषा को समझने, विकसित करने और उसकी सुंदरता को निखारने का एक शक्तिशाली माध्यम है। साहित्य समाज का दर्पण है, इसी दर्पण में अभिव्यक्त होने वाले भाव भाषा के द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वह परस्पर विचार-विनिमय करना चाहता है, वह दूसरों के विचार को भी ग्रहण करना चाहता है। अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य अपने विचार दूसरों को सुनाना चाहता है उसी प्रकार दूसरों के विचार सुनना भी चाहता है। आत्माभिव्यक्ति की इस इच्छा (desire to self-expression) ने भाषा को जन्म दिया है। मनुष्य के विचार-विनिमय के अनेक साधनों में 'भाषा' एक महत्वपूर्ण साधन है।

भाषा की परिभाषा:

» महर्षि पतंजलि:

प्रसिद्ध व्याकरणकार पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है,

“वाची वर्णयिषांतइमेव्यक्तवाचनः”

अर्थात्

“जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं।”

अपने विचारों को सरल एवं प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान परम आवश्यक है। यदि हमारे पास भाषा का अभाव हो तो हम अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए व्यावहारिक, साहित्यिक तथा परिष्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है।

भाषा की विशेषताएं:

भाषा शब्द का अर्थ, स्वरूप और भाषा की परिभाषाओं को समझने के पश्चात् उसकी विशेषताओं को समझना कठिन नहीं होगा। भाषा के लक्षणों को ही दूसरे शब्दों में भाषा की विशेषताएं या भाषा की

प्रवृत्तियां कहा जाता है, जिसको स्पष्ट करने से अपने आप भाषा की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। भाषा के सहज स्वभाव को प्रकृति कहते हैं और उसमें निहित गुणों को प्रवृत्तियां। संसार में हजारों विभिन्न भाषाएं हैं जिनकी अपनी-अपनी स्वतंत्र विशेषताएं होती हैं।

» **भाषा पैतृक संपत्ति एवं बपौती नहीं है:**

पिता से पुत्र को मिलने वाली संपत्ति को पैतृक संपत्ति तथा बाप-दादा से अपने आप मिलने वाली संपत्ति को बपौती कहा जाता है। भाषा परंपरागत होते हुए भी पैतृक संपत्ति नहीं है। जिस प्रकार एक पुत्र ही अपनी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, उस प्रकार भाषा का उत्तराधिकारी नहीं हो पाता क्योंकि भाषा परंपरा द्वारा प्राप्त किंतु अर्जित वस्तु है। भाषा मनुष्य को पैतृक संपत्ति के रूप में जन्म से प्राप्त नहीं होती इसलिए मनुष्य को अनुकरण और अभ्यास द्वारा भाषा सीखनी पड़ती है।

» **भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है:**

सामाजिक व्यवहार के लिए भाषा ही सबसे बड़ा साधन है। सामाजिकता और भाषा दोनों को अन्योन्याश्रित माना गया है। भाषा की उत्पत्ति समाज द्वारा होती है, इसका विकास भी समाज में ही होता है। उसका उपयोग भी समाज के लिए होता है। भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से संबंधित है, इसलिए उसे आद्यंत सामाजिक वस्तु कहा जाता है।

» **भाषा चिर परिवर्तनशील है:**

चिर परिवर्तनशीलता भाषा का प्रधान गुण है। भाषा सदैव बदलती रहती है। भाषा का कोई रूप स्थिर या अंतिम नहीं होता, क्योंकि आज से कुछ हजार या कुछ सौ वर्ष पहले भाषा के जिस रूप का प्रयोग होता था उसका प्रयोग अब नहीं होता, बल्कि उसमें परिवर्तन होता है।

» **भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है:**

जो वस्तु बन-बनाकर पूर्ण हो जाती है, उसका अंतिम स्वरूप होता है पर भाषा ऐसी वस्तु नहीं है। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती अर्थात् यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का यह अमुक रूप अंतिम है।

यह ध्यान देने की बात यह है कि यह केवल जीवित भाषा के बारे में कहा जा सकता है, मृत भाषा के बारे में नहीं। भाषा की मृत्यु के समय का रूप अवश्य अंतिम ही उसका होता है, पर जीवित भाषा में यह बात नहीं है।

» **प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है:**

प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान प्रत्येक भाषा के इतिहास का अध्ययन करता है। प्रत्येक भाषा प्रारंभ में किस रूप में थी, बाद में बदलकर किस रूप में आई, वह किस समय से किस समय तक प्रचलित रही, इन बातों पर 'ऐतिहासिक भाषा विज्ञान' में विचार होता है। इस दृष्टि से संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं का समय निर्धारित किया गया है।

» **प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है:**

किन्हीं भी दो भाषाओं का ढाँचा पूर्णतया एक नहीं होता। अर्थात् प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है, उसमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य या अर्थ आदि किसी भी एक स्तर पर या एक से अधिक स्तरों पर 'संरचना' या 'ढाँचे' में अंतर अवश्य होता है। यही अंतर उनकी अलग या स्वतंत्र रचना का कारण बनता है।

» **भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है:**

मनुष्य स्वभाव से ही सरलता प्रिय प्राणी है। वह हर क्षेत्र में श्रम और शक्ति की बचत करना चाहता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति भाषा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहती है। (economy of effort) प्रयत्न लाघव, मुख-सुख, श्रम की बचत या उच्चारण की सुविधा आदि के कारणों से ही भाषा में बहुत से परिवर्तन होते हैं। सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट होती है। क्योंकि मनुष्य का यह जन्मजात स्वभाव है कि वह कम से कम प्रयास में अधिक लाभ उठाना चाहता है।

» **भाषा एक सहज नैसर्गिक प्रक्रिया है:**

भाषा एक सहज नैसर्गिक प्रक्रिया है और प्रकृति के अनुसार इसका सर्वदा ही विकास होता रहता है। अन्य ज्ञान उपलब्ध कराने में या वस्तुएं सीखने में जितने कठोर श्रम हमें करने पड़ते हैं उतना और उतनी मात्रा

में श्रम या शक्ति भाषा सीखने में खर्च नहीं करनी पड़ती। सहज का अर्थ यहां जन्मजात नहीं मानना चाहिए और न नैसर्गिक भी। बच्चा जन्म लेने के बाद ही भाषा को सीखता है। परंतु उसे सीखने में उसे अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कम श्रम या शक्ति लगानी पड़ती है। वह भाषा को अनायास नहीं पाता परंतु अल्प गति से प्राप्त करता है।

» **प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है:**

एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर भाषा का रूप बदलता है इसलिए कहा जाता है- “चार कोस पर बदले पानी, आठ कोस बाणी” अर्थात् आठ कोस पर बाणी यानी भाषा बदलती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। उस सीमा के बाहर उसका स्वरूप थोड़ा अधिक परिवर्तित हो जाता है, या उस सीमा के बाहर किसी दूसरी भाषा की सीमा पूर्णतः शुरू हो जाती है। उदाहरणार्थ: बांग्ला नामक भूखंड की भाषा यदि बंगाली है तो पंजाब नामक भूखंड की पंजाबी है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है तथा कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है।

साहित्य में भाषा का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा लेखक अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। भाषा के बिना किसी भी साहित्य की साहित्यिक कृति की रचना संभव नहीं है। भाषा साहित्य की अभिव्यक्ति और संप्रेषण का एक शक्तिशाली माध्यम प्रदान करती है, जिससे साहित्यिक कृतियाँ अर्थपूर्ण बनती हैं।

साहित्य शब्द ‘सहित’ में यञ् प्रत्यय लगने से बना है जिसका अर्थ है शब्द और अर्थ का साथ-साथ रहना। दोनों अर्थों के आधार पर कहा जा सकता है कि शब्द-अर्थ से युक्त, हित करने वाली अर्थात् शिवत्व की भावना से ओत-प्रोत, सबके लिए कल्याणकारी रचना ही साहित्य है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार,

साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसमें समाज के विविध रूपों का समावेश होता है। साहित्य में समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य समाज का नव सृजन कर नई दिशा प्रदान करता है।

साहित्य में भाषा का महत्व:

» अभिव्यक्ति का माध्यम:

भाषा वह आधार है जिसके माध्यम से लेखक अपने विचार, भावों और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है और पाठकों को लेखक के विचारों से जुड़ने का अवसर मिलता है।

» सृजनात्मकता का विकास:

साहित्य का अध्ययन करने से व्यक्तियों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे लोगों में आपसी समझ और समन्वय बढ़ता है।

» ज्ञान और अनुभव का प्रसार:

साहित्य भाषा के माध्यम से समाज के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, परंपरागत ज्ञान और अनुभव का प्रसार करता है। साहित्य के अनेक पहलुओं का ज्ञान भाषा प्रदान करती है।

» भावनात्मक और बौद्धिक विकास:

साहित्यिक कृतियाँ भाषा के भावनात्मक और बौद्धिक विकास में सहायक होती हैं। उत्तम साहित्य के अध्ययन से पाठक के बौद्धिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे जीवन उन्नत बनाने की प्रेरणा मिलती है।

» सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबिंब:

साहित्य किसी समाज का रहन-सहन, आचार-विचार और सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करता है, और यह चित्रण भाषा के द्वारा ही संभव है।

» अतीत से जुड़ाव:

साहित्य के अध्ययन से वर्तमान और अतीत का भी ज्ञान मिलता है। वर्तमान अतीत से जुड़ा होता है, जिससे मनुष्य की सभ्यता के विकास में सहायता मिलती है।

» **शब्दावली और भाषा का विकास:**

साहित्य नए-नए शब्दों से व्यक्तियों को परिचित कराता है, जिससे भाषा का भंडार समृद्ध बनता है। भाषा प्रयोग में निखार आता है।

» **शिक्षा में भाषा का महत्व:**

शिक्षा में भाषा का महत्व अत्यंत गहरा और प्रभावी है। भाषा न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करती है। भाषा सीखने से व्यक्ति जटिल धारणाओं को सुव्यवस्थित ढंग से समझ सकते हैं, आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं, और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा के सभी विषयों में भाषा की भूमिका अहम है, जो ज्ञान को समझने और व्यक्त करने की प्रक्रिया को सशक्त बनाती है।

» **संज्ञानात्मक विकास:**

भाषा कौशल छात्रों की सोचने, विश्लेषण करने और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा का दायरा भाषा के अवगत कराने से बढ़ जाता है। भाषा के द्वारा विविध संज्ञाओं का अर्थ सुगमता से समझ आता है।

» **संचार कौशल:**

भाषा विद्यार्थियों को अपने विचारों, भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाती है, जो शैक्षणिक और सामाजिक सफलता के लिए जरूरी है। भाषा हमें एक दूसरे के साथ-साथ जोड़कर रखती है।

» **सांस्कृतिक समझ:**

विविध भाषाओं का अध्ययन करने से विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को समझने में सहायता मिलती है, जिसके द्वारा वह समावेशी निष्पक्ष नागरिक बनते हैं।

» **समग्र विकास:**

विद्यार्थियों का समग्र विकास भाषा के द्वारा संभव है। भाषा न केवल बौद्धिक विकास में सहायक होती है बल्कि चारित्रिक, नैतिक और भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

» **ज्ञान का प्रसार:**

भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान और सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आसान हुआ है। सामुदायिक मूल्यों और परंपराओं को भाषा द्वारा जीवित रखा जाता है। भाषा ज्ञान के प्रचार-प्रसार में सहायक होती है।

» **समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच:**

अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्तियों में समस्या-समाधान और आलोचनात्मक कौशल विकसित होते हैं। जीवन व्यापार में भाषा की भूमिका सर्वविदित है। मनुष्य के कृत्रिम आविष्कारों में भाषा निश्चित ही सर्वोत्कृष्ट है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान-विज्ञान के संकलन, संचार और प्रसार के लिए भाषा अनिवार्य हो चुकी है। भाषा के आलोक से ही हम काल का भी अतिक्रमण कर पाते हैं और संस्कृति का प्रवाह बना रहता है इसलिए यह अतिशयोक्ति नहीं है कि भाषा का वैभव भी असली वैभव है।

» **पहचान और एकता:**

भाषा व्यक्ति और समाज की पहचान का प्रतीक है। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होने से व्यक्ति दुनिया भर की संस्कृतियों को समझ पाता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता व सद्भाव बढ़ जाता है।

साहित्य और शिक्षा में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साहित्य की अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम भाषा है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान-प्रदान सुगमता से करता है। भाषा ही मानव को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। साहित्य के अध्ययन से वर्तमान और अतीत का ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा एक कला है। आवश्यकता होती है उसे जीने की, उसकी अनुभूति करने की। भाषा साहित्य का आधार मानी जाती है तथा साहित्य ही भाषा को सुरक्षित रखता है। भाषा का विकास पहले होता है तथा उसके साहित्य का बाद में होता है। भाषा यदि बीज है तो साहित्य उस बीज से फूटा हुआ अंकुर और यदि साहित्य अंकुर है तो भाषा उससे पल्लवित पुष्प है। साहित्य भाषा की संस्कृति भी है तथा संस्कार भी।

संदर्भ ग्रंथ:

1. विकिपीडिया
2. भाषा विज्ञान: डॉ. भोलानाथ तिवारी

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.